

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH;JABALPUR

Endt. No. ~~D/716~~/2022
II-15-1/50

Jabalpur, dated 25./Feb., 2022

The copy of Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 70, 71 & 77 dated 07/02/2022 issued by State Government of Madhya Pradesh, Bhopal is forwarded to:

1. Principal Registrar, High Court of M.P., Bench Indore/Gwalior
2. Registrars (All) /O.S.D (All)..... High Court of MP, Jabalpur
3. Member Secretary, State Court Management System, High Court of M.P. Jabalpur
4. OSD-cum-PPS to Hon'ble the Chief Justice, High Court of MP, Jabalpur
5. Senior Principal System Analyst (SA) with a request to upload the same in the Official Website of High Court.
6. P.S. to Registrar General/Principal Registrars (All).....
7. Assistant Registrar (Protocol), High Court of MP, Jabalpur -

for information & necessary action.



(ABHISHEK PATEL)
ASSISTANT REGISTRAR (P)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-1-2021-सात-शा.7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-5-2021-एम एण्ड जी, दिनांक 05 नवम्बर, 2021 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा, होशंगाबाद जिले के नगर “होशंगाबाद” का नाम परिवर्तित कर “नर्मदापुरम” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-1-2021-सात-शा.7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-1-2021-सात-शा.7, दिनांक 07 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February, 2022

No. F. 11-1-2021-VII-Sec.7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their Letter No. 11-5-2021-M&G, dated the 05th November, 2021 the State government, hereby, change the name of town of “HOSHANGABAD” District Hoshangabad as “NARMADAPURAM” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-2-2021-सात-शा.7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-10-2021-एम एण्ड जी, दिनांक 05 नवम्बर, 2021 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा, होशंगाबाद जिले के नगर “बाबई” का नाम परिवर्तित कर “माखन नगर” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-2-2021-सात-शा.7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-2-2021-सात-शा.7, दिनांक 07 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February, 2022

No. F. 11-2-2021-VII-Sec.7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their Letter No. 11-10-2021-M&G, dated the 05th November, 2021 the State Government, hereby, change the Name of town of “BABAI” District Hoshangabad as “MAKHAN NAGAR” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-1-2021-सात-शा.7 .- राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम किये जाने संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी 2022 जारी की गयी है, जो कि जिला होशंगाबाद का जिला मुख्यालय है. अतएव, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 के अंतर्गत उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से "होशंगाबाद" जिले का नाम जिला "नर्मदापुरम" किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-1-2021-सात-शा.7 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-1-2021-सात-शा.7, दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February 2022

No. F-11-1-2021-VII-Sec.7.- The State Government has issued even numbered notification dated 7th February 2022 changing Hoshangabad city name to Narmadapuram which is headquarter of Hoshangabad District. Therefore, under section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) from the date of the above notification. District "HOSHANGABAD" is renamed as District "NARMADAPURAM".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.